

CJL

No. of Printed Pages : 4

2023

भाषा

Language



निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 100

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

- नोट : (i) अभ्यर्थी सभी तीन प्रश्नों के उत्तर दें ।
(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं ।

- Note : (i) Candidate should attempt all the **three** questions.
(ii) Marks carried by each question are indicated at its end.

भाग - 1 / PART - 1

1. निम्नलिखित अंग्रेजी गद्यांश का सामान्य न्यायालयीय भाषा में हिन्दी भाषा व देवनागरी लिपि में अनुवाद कीजिए : 30 अंक

(शब्द सीमा : अधिकतम 500 शब्द)

Translate the following English passage into the ordinary language spoken in Courts, using Hindi language & Devanagari Script : 30 Marks

(Words limit : Maximum 500 words)

The theory on which costs are now awarded to a plaintiff is that default of the defendant made it necessary to sue him; and to a defendant is that the plaintiff sued him without cause, costs are thus in the nature of incidental damages allowed to indemnify a party against the expense of successfully vindicating his rights in Court and consequently the party to blame pays costs to the party without fault.

We must remember that whatever the origin of costs might have been, they are now awarded, not as a punishment to the defeated party but as a reimbursement to the successful party for the expenses to which he had been subjected, or as, Lord Coke puts it, for whatever appears to the Court to be the legal expenses incurred by the party in prosecuting his suit or his defence.

Principles of Civil Procedure Code apply, not merely to the award of costs, but also to the award of extra allowance or special costs. Courts are authorised to allow such special allowances, not to inflict a penalty on the unsuccessful party, but to indemnify the successful litigant for actual expenses incurred by him.

If in any suit or other proceeding including an execution proceeding but excluding an appeal or a revision, any party objects to the claim or defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, if it so thinks fit, may after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an order for the payment, to the objector by the party by whom such claim or defence has been put forward, of costs by way of compensation.

No Court shall make any such order for the payment of an amount exceeding three thousand rupees or exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction, whichever amount is less :

Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of small causes under the Provincial Small Causes Courts Act or under a corresponding law in force in any part of India to which the said Act does not extend and not being a Court constituted under such Act or law, are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this provision any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees. Provided further that the High Court may limit the amount which any Court or class of Courts is empowered to award under this provision.

It is to be noted that the huge costs are normally awarded in writ proceedings and public interest litigations, and not in a civil litigation.

भाग - 2 / PART - 2

2. निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए : 30 अंक
(शब्द सीमा : अधिकतम 500 शब्द)

Translate the following Hindi passage into the ordinary English language : 30 Marks

(Words limit : Maximum 500 words)

जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है, केवल जुमाने से या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है अथवा जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है,

दोषसिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है तब, यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष उसे दोषसिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु, शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया, ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, तो न्यायालय उसे तुरन्त कोई दण्डादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओं सहित या रहित उसके द्वारा यह बन्ध-पत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह तीन वर्ष से अनधिक, इतनी अवधि के दौरान जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे, बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दण्डादेश पाएगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा:

परन्तु जहाँ कोई प्रथम अपराधी, किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, दोषसिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहाँ वह उस भाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह कार्यवाही प्रेषित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर रहने के लिए जमानत लेने के लिए भेजेगा। जहाँ कोई कार्यवाही द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को निवेदित की गई है, वहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दण्डादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलतः उसके द्वारा सुना गया होता, तो वह दे सकता है और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जाँच करना या अतिरिक्त साक्ष्य लेना आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जाँच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है अथवा ऐसी जाँच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिये जाने का निर्देश दे सकता है।

किसी ऐसी दशा में, जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है, यदि वह न्यायालय, जिसके समक्ष वह ऐसे दोषसिद्ध किया गया है, ठीक समझे, तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्ववृत्त या शारीरिक या मानसिक दशा की और अपराध की तुच्छ प्रकृति को, या किन्हीं परिशमनकारी परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया था, ध्यान में रखते हुए उसे कोई दण्डादेश देने के बजाय सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकता है।

यदि उस न्यायालय का, जिसने अपराधी को दोषसिद्ध किया है, या उस न्यायालय का, जो अपराधी के संबंध में उसके मूल अपराध के बारे में कार्यवाही कर सकता था, समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल रहा है तो वह उसके पकड़े जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है।

भाग - 3 / PART - 3

3. निम्नलिखित गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ें :

(शब्द सीमा : अधिकतम 500 शब्द)

Read the following passage carefully :

(Words limit : Maximum 500 words)

Any member of the public having sufficient interest can maintain an action for judicial redress for public injury arising from breach of public duty or from some violation of some provision of the Constitution or the law and seek enforcement of

such public duty and observance of such Constitutional or legal provision. Where a person or class of persons to whom legal injury is caused by reason of violation of a fundamental right is unable to approach the court for judicial redress on account of poverty or disability or socially or economically disadvantaged position or for any other reason, any member of the public acting bonafide can move the court for a relief under relevant provisions of the Constitution, so that the fundamental rights may become meaningful not only for the rich and the well-to-do who have the means to approach the court but also for the large number of people who are living a life of want and destitution and who are by reason of lack of awareness, assertiveness and resources unable to seek judicial redress. If any citizen brings before the court a complaint that a large number of peasants or workers are bonded serfs or are being subjected to exploitation by a few mine owners or contractors or employers or are being denied the benefits of social welfare laws, the State Government, which is, under Constitutional scheme, charged with the mission of bringing about a new socio-economic order, where there will be social and economic justice for every one and equality of status and opportunity for all, would welcome an inquiry by the court, so that it is found that there are in fact, bonded labourers such a situation can be set right by the State Government. The strict rule of locus standi applicable to private litigation is relaxed and a broad rule is evolved which gives the right of locus standi to any member of the public acting bonafide and having sufficient interest in instituting an action for redressal of public wrong or public injury; but who is not a mere busy body or a meddle-some interloper; since the dominant object of relaxed approach, is to ensure the observance of the provisions of the Constitution or the law which can be best achieved to advance the cause of community or disadvantaged groups and individuals or larger interest by permitting any person, having no personal gain or private motivation or any other oblique consideration but acting in good faith and having sufficient interest in maintaining an action for judicial action for public injury or damage to put the judicial machinery in motion like 'actio-popularis' of Roman Law, whereby any citizen could bring such an action in respect of a public delict. In exercising the liberal attitude, the court has to act with great deal of caution and circumspection so that its process is not misused for settling old scores or enmity by the petitioner against the respondent.

(क) उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए ।

10 अंक

(शब्द सीमा : अधिकतम 10 शब्द)

(a) Give a suitable title of the above passage.

10 Marks

(Words limit : Maximum 10 words)

(ख) उपरोक्त गद्यांश का संक्षिप्तीकरण अंग्रेजी में कीजिए ।

30 अंक

(शब्द सीमा : अधिकतम 300 शब्द)

(b) Write a precis in English of the above passage.

30 Marks

(Words limit : Maximum 300 words)

2023**वर्तमान परिदृश्य****The Present Day****निर्धारित समय : तीन घण्टे]****[पूर्णांक : 150****Time allowed : Three Hours]****[Maximum Marks : 150****नोट : (i) अभ्यर्थी सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।****(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।****Note : (i) Candidate should attempt all the five questions.****(ii) Marks carried by each question are indicated at its end.**

1. (अ) 'निर्णयानुसरण का सिद्धान्त' जैसा कि यू.के. एवं भारत में प्रयोज्य है विवेचना कीजिए। सुसंगत निर्णयों का भी संदर्भ दीजिए। **15**

(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(ब) "प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा पर गए हैं।" टिप्पणी करते हुए वर्तमान परिदृश्य में इसकी भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिए। **15**

(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(a) Discuss the doctrine of 'Stare Decisis' as applicable in U.K. and India. Also refer to relevant cases.

(Words limit : Maximum 200 words)

(b) "The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract." Comment and point out whether this is applicable in India in present day scenario.

(Words limit : Maximum 200 words)

2. (अ) “प्रत्यर्पण वहाँ प्रारम्भ होता है जहाँ आश्रय समाप्त होता है।” विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)
- (ब) कम से कम दो वादों की सहायता से तथ्येन एवं विधि मान्यता का अन्तर बताइए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)
- (a) “Asylum stops where extradition begins.” Explain.
(Words limit : Maximum 200 words)
- (b) Point out the difference between ‘De facto’ and ‘De Jure’ Recognition with the help of at least two cases.
(Words limit : Maximum 200 words)
3. (अ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राजनयिक प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार के आधारों की विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)
- (ब) न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना एवं इसके द्वारा लागू की जाने वाली विधि का उल्लेख कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की बंधनकारी शक्ति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)
- (a) Discuss the basis of immunities and privileges of Diplomatic Agents as provided under International Law.
(Words limit : Maximum 200 words)
- (b) State the composition of International Court of Justice and law applied by it. Critically examine the binding force of the decision of this court.
(Words limit : Maximum 200 words)
4. (अ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 2014 एस. सी. 1863) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की विस्तार से विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)
- (ब) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ख एवं 243-ग के अन्तर्गत स्थापित पंचायतों के गठन एवं उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)
- (a) Explain in detail the decision given by Supreme Court in National Legal Service Authority V. Union of India (AIR 2014 SC 1863)
(Words limit : Maximum 200 words)
- (b) Describe the constitution and composition of Panchayats as provided in Articles 243-B and 243-C of the Constitution of India.
(Words limit : Maximum 200 words)

5. (अ) यह कहा जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' में परिवर्तित हो गई है। टिप्पणी करते हुए विवेचना कीजिए। 15

(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

- (ब) उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ (2016) 5 SCC 1 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15

(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

- (a) It is said that 'Procedure established by law' under Art. 21 of the Constitution of India has been converted to due process of law. Comment and discuss.

(Words limit : Maximum 200 words)

- (b) Critically examine the judgement pronounced by the Supreme Court in Supreme Court Advocates-on-Record Association V. Union of India (2016) 5 SCC 1.

(Words limit : Maximum 200 words)

21. (a) It is said that Procedure established by law under Art 31 of the Constitution of India has been confined to due process of law. Comment and discuss.
(Word limit: Maximum 200 words)

21. (b) Critically examine the judgment pronounced by the Supreme Court in State of Andhra Pradesh v. Union of India (2017) 2 SCC 1.
(Word limit: Maximum 200 words)

2023**विधि – I (मुख्य विधि)****(प्रथम प्रश्न-पत्र)****Law – I (Substantive Law)
(First Paper)****निर्धारित समय : तीन घण्टे]****[पूर्णांक : 200****Time allowed : Three Hours]****[Maximum Marks : 200**

नोट : अभ्यर्थियों को प्रश्न संख्या 1 एवं 2 करना अनिवार्य है तथा अन्य कोई चार प्रश्न हल करने हैं। कुल छः प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।

Note : Candidates should attempt question Nos. 1 and 2 as compulsory and not more than four of the remaining ones. Total six questions are to be attempted. Marks carried by each question are indicated at its end.

1. (अ) प्रतिफल के बिना करार शून्य है, सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो, या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। व्याख्या कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द)

15

(ब) “पट्टाकर्ता” और “बंधकदार” को परिभाषित करें व इनमें अन्तर करें। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत सुखाधिकार अर्जित करने के अधिकार और निजता (एकान्तता) के अधिकार के सम्बन्ध में भी टिप्पणी कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द)

15

(स) “संभाव्य उत्तराधिकार” पर टिप्पणी करें। निर्णित वादों की सहायता से अपने अधिकार को त्यागने के लिए प्रतिवर्ती द्वारा समझौते पर भी चर्चा करें।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

(a) Agreement without consideration is void, unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law. Illustrate.

(Words limit: Maximum 100 Words)

- (b) Define and differentiate “Lessor” and “Mortgagee”. Also comment with regard to right to acquire easement and right to privacy under Transfer of Property Act, 1882.

(Words limit : Maximum 100 Words)

- (c) Comment on “Spec Succession”. Also discuss agreement made by reversionary to relinquish his right with the help of decided case law.

(Words limit: Maximum 50 Words)

2. (अ) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक पत्नी को विवाह विच्छेद हेतु प्रदत्त अतिरिक्त आधारों का वर्णन कीजिए तथा नवीनतम निर्णित वादों का उल्लेख कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द)

15

- (ब) साझेदारी और संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। उनके अधिकारों और दायित्वों पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द)

15

- (स) युवावस्था की अवधारणा पर चर्चा करें और हिन्दू विधि के अन्तर्गत यह कैसे भिन्न है ? व्याख्या करें।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (a) Mention additional grounds available to a wife for divorce under Hindu Marriage Act, 1955 and mention recently decided cases too.

(Words limit: Maximum 100 Words)

- (b) Define the Partnership and Joint family. Discuss their rights and liabilities.

(Words limit : Maximum 100 Words)

- (c) Discuss on the concept of ‘option of puberty’ and how it is different under Hindu law ? Discuss.

(Words limit: Maximum 50 Words)

3. (अ) “मृत पिता के ऋणों को चुकाने का पुत्र का पवित्र दायित्व है।” इस दायित्व के विस्तार व सीमाओं का उल्लेख कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (ब) निर्णित न्यायिक निर्णयों की सहायता से “खाता बन्द करना” व “अन्यायपूर्ण संवृद्धि” की अवधारणा पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (स) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत अग्रक्रयाधिकार (शुफा) के अधिकार की सीमाओं व विस्तार का वर्णन कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (a) "It is pious obligation of a son to pay the debts of his deceased father." Mention the extent and limitations of this duty.

(Words limit: Maximum 50 Words)

- (b) Discuss the concept of "Freezing of Account" and "Unjust enrichment" with the help of decided case law.

(Words limit : Maximum 50 Words)

- (c) Describe the extent and limitation of the right of pre-emption under Muslim Law.

(Words limit: Maximum 50 Words)

4. (अ) 'अ' और 'ब' संयुक्त रूप से 'स' के विवाह के चित्र को चित्रित करने का वादा करते हैं जो कि 16 वर्ष की आयु की है। 'स' ने अपने घर से सटे एक दो बी एच के घर या ₹ 2 करोड़ के मूल्य के समतुल्य राशि देने का करार किया। उन प्रावधानों पर चर्चा करें जिनके अन्तर्गत 'अ' और 'ब' विधिक प्रावधानों की मदद से वचन पालन के लिए 'स' को विवश कर सकते हैं।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (ब) निर्णित न्यायिक निर्णयों व विधिक प्रावधानों की मदद से गिरवीकर्ता व गिरवीदार के अधिकार व कर्तव्यों की व्याख्या करें।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (स) निर्णित मामलों तथा साइबर विधि के प्रावधानों की सहायता से 'अपमानकारी लेख' व 'अपमानकारी वचन' की उभरती हुई अवधारणा को परिभाषित करें।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (a) A and B jointly promise to paint a wedding portrait of 'C' who is 16 years old. 'C' agreed in consideration to give one 2 BHK House adjoining to her house or in kind equivalent to the value of ₹ 2 crores. Discuss the provisions under which 'A' and 'B' have remedies to compel 'C' for performance of the promises with the help of decided case law.

(Words limit: Maximum 50 Words)

- (b) With the help of relevant legal provisions and decided cases, explain the rights and duties of bailor and bailee.

(Words limit : Maximum 50 Words)

- (c) Define with the help of decided cases and cyber law, the evolving concept of "Libel" and "Slander".

(Words limit: Maximum 50 Words)

5. (अ) 'वोट दर्ज करने से इन्कार' करने और 'एक शैक्षणिक वर्ष के नुकसान' के सम्बन्ध में 'क्षति बिना हानि' व 'हानि बिना क्षति' के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (ब) सुसंगत निर्णयों व विधिक प्रावधानों की सहायता से "निर्मुक्ति" और "उपमति" को परिभाषित कीजिए और इनमें अन्तर भी बताइए ।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (स) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकारी के वर्ग की विवेचना कीजिए । उदाहरणों की सहायता से "वृद्धि के सिद्धान्त" (Aul) और "वापसी के सिद्धान्त" (Radd) पर भी टिप्पणी कीजिए ।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (a) Explain the principle 'damnum sine injuria' and 'injuria sine damnum' in connection with the action of 'refusal to register vote' and 'loss of one academic year'.
(Words limit: Maximum 50 Words)
- (b) Define "Release" and "Acquiescence" with the relevant provisions of law and decided case law and differentiate between the two.
(Words limit : Maximum 50 Words)
- (c) Discuss the class of heirs under Muslim Law. Also comment on "Principle of increase" (Aul) and "Principle of Return" (Radd) with the help of suitable examples.
(Words limit: Maximum 50 Words)
6. (अ) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ब के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के हाल के फैसले के बाद, प्रतीक्षा अवधि की छूट पर विवाह संस्था पर प्रभाव पर चर्चा करें । इस संदर्भ में "न्यायालय विवाह संस्थानों को बनाने की ही कोशिश करती है, परन्तु विवाह को तोड़ने की नहीं ।" व्याख्या करें ।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (ब) अ, ब, स और द अलग-अलग मोटर मालिक दिल्ली और हरिद्वार के बीच अपनी मोटर को निर्धारित किराए पर चलाने और आय को समान रूप से विभाजित करने के लिए सहमत हैं । क्या अ, ब, स और द साझेदार हैं ? वैधानिक प्रावधानों की मदद से चर्चा करें ।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (स) एक सह-मालिक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के आलोक में "आवास गृह" और "परव्यक्ति अंतरिती के विरुद्ध निषेधाज्ञा" पर निर्णित सम्बन्धित निर्णयों की मदद से टिप्पणी करें ।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10

- (a) Discuss the impact on Marriage institutions on waiver of waiting period after the recent judgment of Supreme Court Constitution Bench on the divorce under Section 13-B of Hindu Marriage Act in the light of “Courts try to make the Marriage Institutions and not to break the marriage”. Discuss.

(Words limit: Maximum 50 Words)

- (b) A, B, C and D are different Motor owners, they agree to ply their motor between Delhi and Haridwar at fixed fare and to divide the proceed equally. Are A, B, C and D partners ? Discuss with the help of statutory provisions.

(Words limit : Maximum 50 Words)

- (c) Comment with the help of decided case law on “Dwelling House” and “Injunction against stranger transferee” in the light of transfer of property by one co-owner.

(Words limit: Maximum 50 Words)

7. (अ) “X” और “Y” पति-पत्नी हैं । “X” अपने पति के विरुद्ध दूसरी पत्नी से विवाह करने से निवारित करने हेतु वाद दायर करती है । विधिक प्रावधानों व निर्णित निर्णयों की सहायता से टिप्पणी कीजिए कि क्या निषेधाज्ञा के लिए “X” का वाद पोषणीय है ?

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (ब) एक अनुबंध के ‘नवीयन’ और ‘विखण्डन’ को परिभाषित करते हुए इनमें अन्तर भी बताइए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (स) “वसीयती संरक्षक” तथा “माता-पिता” की वर्तमान समय में उभरती परिभाषा पर टिप्पणी कीजिए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (a) “X” and “Y” are husband and wife. “X” files a suit against her husband to grant injunction against “Y” restraining him from marrying a second wife. Comment with the help of statutory provisions and decided case law, whether “X” suit for injunction is maintainable.

(Words limit: Maximum 50 Words)

- (b) Define and differentiate between “Novation” and “Recession” of Contract.

(Words limit : Maximum 50 Words)

- (c) Comment on the evolving definition of “testamentary guardian” and “parents” in the present times.

(Words limit: Maximum 50 Words)

8. (अ) एक हिन्दू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है। जिसमें वह अपने पीछे अपनी विधवा, दो बेटों एस-1 और एस-2, पूर्व-मृत बेटी की बेटी, अपनी माँ और भाई को छोड़ गया। चर्चा करें कि मृतक की संपत्ति में कौन सफल होगा और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनका अंश क्या होगा ?
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (ब) निर्णित वाद विधि की सहायता से “संयुक्त मालिकों द्वारा अतिचार और जानवरों द्वारा अतिचार” के बीच अन्तर करें और इन्हें परिभाषित करें।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (स) वैधानिक प्रावधानों और निर्णित वाद विधि की मदद से टिप्पणी करें कि कब अजन्मे व्यक्ति को अपने अधिकारों के हस्तांतरण पर निहित हित प्राप्त हो जाता है।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (a) A Hindu male dies intestate. He left behind his widow, two sons S-1 and S-2, daughter of pre-deceased daughter, his mother and his brother. Discuss who will succeed to the property of deceased and what will be the share under Hindu Succession Act ?
(Words limit: Maximum 50 Words)
- (b) Define and differentiate between “Trespass by joint owner and Trespass by animals” with the help of decided case law.
(Words limit : Maximum 50 Words)
- (c) Comment with the help of statutory provision and decided case law, when can unborn person acquires vested interest on transfer of his rights.
(Words limit: Maximum 50 Words)
9. (अ) निर्णित वाद विधि और वैधानिक प्रावधानों की सहायता से “मालिक और नौकर के संदर्भ” और “नौकर और स्वतंत्र ठेकेदार के संदर्भ” में संबंध में दायित्व की विकसित अवधारणा को स्पष्ट करें।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (ब) उदाहरण की सहायता से “हिबा-बिल-इवाज” और “हिबा-बा-शरत-उल-इवाज” को परिभाषित करें और इनमें अंतर करें।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10
- (स) निर्णित वादों की सहायता से फर्म में भागीदार की सम्पत्ति का उपयोग करते समय, भागीदार के ‘व्यक्तिगत व्यापार चिह्न’ और ‘भागीदार के किरायेदारी अधिकारों’ पर टिप्पणी करें।
(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द) 10

- (a) Illustrate the evolving concept of liability by relation with “reference to master and servant” and “servant and independent contractor” with the help of decided cases and statutory provision.

(Words limit: Maximum 50 Words)

- (b) Define and differentiate between “Hiba-bil Iwaz” and “Hiba-ba-shart-ul-Iwaz” with the help of example.

(Words limit : Maximum 50 Words)

- (c) Comment on the partner’s “Personal Trade Mark” and “Partner’s Tenancy Rights” while using the Partner’s property in firm with the help of decided case law.

(Words limit: Maximum 50 Words)

10. (अ) ‘मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुआ बच्चा संयुक्त रूप से और समान रूप से संपत्ति का आनंद नहीं लेता है’ जबकि हिन्दू परिवार में उत्पन्न हुआ बच्चा “चाँदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है” । इन पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (ब) “न्यासी का पद ग्रहण करना बहुत सरल है किन्तु पद का निर्वहन करना बहुत कठिन है ।” कथन की विवेचना करते हुए न्यासियों की निर्योग्यताओं का उल्लेख कीजिए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (स) “प्रत्यासन” के सिद्धान्त के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 50 शब्द)

10

- (a) Comment critically on the “Child born in Muslim family do not enjoy the property jointly and in common” whereas a child born in Hindu family is “born with Silver Spoon”.

(Words limit: Maximum 50 Words)

- (b) “It is very easy to occupy the post of a trustee but very difficult to discharge the duty of a trustee.” While explaining the statement, mention the disabilities of a trustee.

(Words limit : Maximum 50 Words)

- (c) Discuss the merits and demerits of the principle of “subrogation”.

(Words limit: Maximum 50 Words)

(a) Illustrate the evolving concept of liability by relation with "vicarious master and servant" and "servant and independent contractor" with the help of decided cases and statutory provision.

(Words limit: Maximum 50 Words)

(b) Define and differentiate between "libel-diffamatory" and "libel-slandering" with the help of example.

(Words limit: Maximum 50 Words)

(c) Comment on the partner's "Fiduciary Duty", "Partners' Liability Rights" while using the Partner's liability in firm with the help of decided case law.

(Words limit: Maximum 50 Words)

10. (a) (i) Discuss the concept of "Vicarious Liability" with the help of decided cases and statutory provision. (ii) Discuss the concept of "Libel and Slander" with the help of decided cases and statutory provision.

(Words limit: Maximum 50 Words)

(b) Discuss the concept of "Partnership" with the help of decided cases and statutory provision.

(Words limit: Maximum 50 Words)

(c) Discuss the concept of "Fiduciary Duty" with the help of decided cases and statutory provision.

(Words limit: Maximum 50 Words)

(d) Comment critically on the "Child born in Muslim family do not enjoy the property jointly and in common" whereas a child born in Hindu family is "born with a share".

(Words limit: Maximum 50 Words)

(e) "It is very easy to occupy the post of a trustee but very difficult to discharge the duty of a trustee." While explaining the statement mention the discharge of a trustee.

(Words limit: Maximum 50 Words)

(f) Discuss the merits and demerits of "separation".

(Words limit: Maximum 50 Words)

2023**विधि – II (साक्ष्य एवं प्रक्रिया)
(द्वितीय प्रश्न-पत्र)****Law – II (Evidence and Procedure)
(Second Paper)****निर्धारित समय : 3 घंटे]****[पूर्णांक : 200****Time allowed : 3 Hours]****[Maximum Marks : 200**

नोट : अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है तथा अन्य कोई चार प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक खण्ड में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।

Note : Candidate should attempt Question No. 1 as compulsory and four more. At least one question must be attempted from each section. In all five questions are to be answered. Marks carried by each question are indicated against the question.

अनिवार्य प्रश्न / Compulsory Question

1. 'ब', ग्राम कल्याणपुर, तहसील काशीपुर स्थित एक 500 वर्ग मीटर प्लॉट का मालिक है; 'ब', 'अ' को उक्त प्लॉट को ₹ 20 लाख के बदले विक्रय करने को दिनांक 02.02.2021 को सहमति देता है। 'ब' इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03.12.2021 को भागित प्रतिफल ₹ 5 लाख का अग्रिम भुगतान लेकर पंजीकृत करार इस शर्त पर करता है कि 'ब', 'अ' को करार के उपरान्त 12 महीने के अन्दर विक्रय विलेख का निष्पादन भूमि की विक्रय के प्रतिफल की शेष राशि तथा उस पर विक्रय विलेख सभी खर्च पर कर देगा। 'अ', 'ब' से विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु उद्धृत समय के अन्तर्गत प्रार्थना करता है, परन्तु 'ब' इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।

अब, 'अ', 'ब' के विरुद्ध वाद दायर करना चाहता है।

(अ) उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए 'अ' की ओर से वादपत्र का प्रारूप बनाइए।
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द) 20

(ब) उपर्युक्त प्रश्न 'अ' के वादपत्र के उत्तर में प्रतिवादी 'ब' की ओर से लिखित कथन का प्रारूप लिखिए और उपर्युक्त अभिवचनों पर वाद बिन्दु का प्रारूप बनाइए।

(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द) 20

B, who is the owner of a plot measuring 500 sq metres situated in village Kalyanpur of Tehsil Kashipur, B agreed to sell aforesaid plot to A on 02.02.2021 for a total sale consideration of ₹ 20 lakhs. In this regard, B executed an agreement to sell on 03.12.2021 in favour of A after receiving ₹ 5 lakhs as earnest money subject to the condition that B shall execute the sale deed in respect of the same property in favour of A within 12 months from the date of execution of the agreement to sell at the cost and expenses of A after receiving remaining amount of sale consideration.

A requested B to execute sale within stipulated time but B did not pay any heed to his request.

Now, A wants to institute a suit against B.

(a) On the above facts, draft a plaint on behalf of A for execution of sale deed.

(Words limit : Maximum 200 Words)

(b) Draft a written statement on behalf of B in reply to the above plaint of A.

And frame issues on the aforesaid pleadings.

(Words limit : Maximum 200 Words)

अथवा

राधा का विवाह 20 मई, 2015 को रमेश के साथ जिला सीतागढ़ में सम्पन्न हुआ। विवाह के पश्चात् राधा अपने पति के साथ रहने लगी। 20 जून, 2017 को राधा ने रमेश की पत्नी के रूप में एक पुत्री को जन्म दिया। इसके पश्चात् रमेश और उसके माता-पिता राधा के माता-पिता से दहेज की माँग करने लगे। इस माँग के कारण वे लोग राधा के विरुद्ध क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगे। अंततोगत्वा राधा ने अपने ससुरालियों का घर छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर सीतागढ़ चली गई। बहुत बार रमेश अपने ससुराल राधा को अपने साथ रहने के लिए लेने गया, लेकिन राधा ने रमेश के साथ रहने से मना कर दिया। अन्ततः राधा ने भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत रमेश और उसके माता-पिता के विरुद्ध वाद दायर कर दिया।

(अ) उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर राधा की ओर से प्रथम इत्तला रिपोर्ट तैयार कीजिए और पुलिस रिपोर्ट पर आरोप विरचित कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

(ब) उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विधिक उपबंधों और वाद विधि से समर्थन देते हुए एक निर्णय लिखिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

OR

Radha's marriage with Ramesh solemnized on 20th May, 2015 at District Sitagarh. After the marriage Radha lived with her husband. On 20th June, 2017 Radha as wife of Ramesh gave birth to a daughter. Thereafter, Ramesh and his parents demanded dowry from the parents of Radha. Due to this demand, they created cruelty against Radha. Ultimately Radha left the home of her in-laws and went to home of her parents at Sitagarh. Various times Ramesh went to the home of his in-laws for asking to Radha to live with him, but Radha refused to live with Ramesh. Finally, Radha filed a suit against Ramesh and his parents under the provision of Indian Penal Code.

- (a) On the basis of above facts, prepare a First Information Report on behalf of Radha and frame the charges on Police report.

(Words limit : Maximum 200 Words)

- (b) Write a judgment on the ground of above facts with the support of legal provision and case law.

(Words limit : Maximum 200 Words)

खण्ड - अ / Section - A

2. (अ) सह-प्रतिवादियों के मध्य प्राङ्गन्याय के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। प्राङ्गन्याय विचाराधीन मामला एवं विबन्ध से किस प्रकार भिन्न हैं ? (शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

- (ब) न्यायालय किन परिस्थितियों में अभिवचन में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकता है और आदेश के पश्चात् संशोधन करने में असफल रहने का प्रभाव क्या है ? व्याख्या कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (स) अन्तर-अभिवचनीय वाद क्या है ? यह कब और किसके द्वारा संस्थित किया जा सकता है ? समझाइए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (a) Explain the principle of res-judicata between co-defendants. How res-judicata differs from res-subjudice and estoppel ?

(Words limit : Maximum 200 Words)

- (b) What are the circumstances in which court can order amendment of pleadings and what is the effect of failure to amend after the order ? Explain.

(Words limit : Maximum 100 Words)

- (c) What is interpleader suit ? When and by whom can it be instituted ? Elucidate.

(Words limit : Maximum 100 Words)

3. (अ) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुपूरक कार्यवाहियों का उद्देश्य न्याय को विफल होने से निवारित करना है। वाद विधि सहित परीक्षण कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20
- (ब) दीवानी न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति से क्या तात्पर्यित है ? वाद विधि से उत्तर को समर्थन दीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) किसी सिविल वाद में संयुक्त वादी एवं प्रतिवादी बनाने के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) The object of supplemental proceedings under Civil Procedure Code is to prevent the ends of justice. Examine with case law. (Words limit : Maximum 200 Words)
- (b) What is meant by inherent jurisdiction of civil court ? Support answer with case law. (Words limit : Maximum 100 Words)
- (c) Explain with illustrations the rules relating to joinder of plaintiffs and defendants in civil suit. (Words limit : Maximum 100 Words)
4. (अ) किन परिस्थितियों में प्रतिवादी की सम्पत्ति वाद के निर्णय के पूर्व ही कुर्क की जा सकती है ? व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20
- (ब) सिविल प्रक्रिया संहिता में निष्पादन कार्यवाही में सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय सम्बन्धी उपबंधों की विवेचना कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद लाने की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) Under what circumstances the property of defendant can be attached before judgement ? Explain. (Words limit : Maximum 200 Words)
- (b) Discuss the provisions of Civil Procedure code regarding the attachment and sale of property in execution proceedings. (Words limit : Maximum 100 Words)
- (c) Examine the procedure for bringing suit by or against the government. (Words limit : Maximum 100 Words)

5. (अ) “न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है, जब तक कि वर्जित न हो।” इस कथन को संदर्भित करते हुए सिविल प्रकृति के वादों का निर्वचन कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

- (ब) प्रतिनिधिक वाद क्या होता है ? प्रतिनिधिक वाद की आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (स) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत कारागार में बन्द कैदी को सम्मन किस प्रकार दिया जाता है ? विवेचना कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (a) “Court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which cognizance is barred.”

In the context of this statement, interpret the nature of civil cases.

(Words limit : Maximum 200 Words)

- (b) What is representative suit ? Discuss the essential conditions of representative suit.

(Words limit : Maximum 100 Words)

- (c) How a summon is served to the prisoners in jail under the Civil Procedure Code, 1908 ? Discuss.

(Words limit : Maximum 100 Words)

खण्ड - ब / Section - B

6. (अ) न्यूसेन्स या आंशिक खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उल्लिखित प्रावधानों को बताइए। अपने उत्तर को उचित दृष्टान्तों और वाद विधि से समर्थन दीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

- (ब) स्थावर सम्पत्ति के विवाद विषयक प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (स) मृत व्यक्ति के कथन के सुसंगत तथ्यों की सुसंगतता के वादों की विवेचना कीजिए। उत्तर को दृष्टान्तों और विधिक उपबंधों से समर्थन दीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

(a) State the provisions contained in Criminal Procedure Code, 1973, relating to power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger. Support your answer with the help of suitable illustrations and decided cases.

(Words limit : Maximum 200 Words)

(b) Give a brief account of the procedure to be adopted regarding the dispute relating to immovable property.

(Words limit : Maximum 100 Words)

(c) Discuss the cases in which statement of relevant fact by person who is dead is relevant. Support the answer by illustrations and legal provisions.

(Words limit : Maximum 100 Words)

7. (अ) मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन के विधिक उपबंध, अपवादों के अधीन हैं। दृष्टान्तों सहित समझाइए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

(ब) दहेज मृत्यु के संदर्भ में साक्ष्य विधि की उपधारणा का वर्णन कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

(स) बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में साक्ष्य विधि की उपधारणा की व्याख्या कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

(a) Legal provisions of exclusion of evidence of oral agreement are subject to the exceptions. Elucidate with illustrations.

(Words limit : Maximum 200 Words)

(b) Discuss the presumption of evidence law with reference to dowry death.

(Words limit : Maximum 100 Words)

(c) Explain the presumption of evidence law with reference to absence of consent in certain prosecutions for rape.

(Words limit : Maximum 100 Words)

8. (अ) सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है, का परीक्षण कीजिए, जबकि नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील सुसंगत है विश्लेषण कीजिए। इसी तरह, आपराधिक मामलों में भी शील की सुसंगतता समझाइए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

(ब) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अटकलपच्चू पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है ? विधिक उपबंध की सहायता से इस प्रश्न की साक्ष्यों की परीक्षा में युक्तयुक्तता निर्णित कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (स) 'ख' की हत्या के लिए 'क' का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि 'क' ने 'ग' की हत्या की, कि 'ख' जानता था कि 'क' ने 'ग' की हत्या की है और कि 'ख' ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर 'क' से धन उद्योपित करने का प्रयत्न किया था, क्या यह तथ्य न्यायालय द्वारा सुसंगत साक्ष्य के रूप में विचार किया जा सकता है ? उत्तर को वाद विधि से समर्थित कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (a) Examine the provisions that in civil cases character to prove conduct imputed irrelevant, whereas, character as affecting damages is relevant. On the same way, elucidate relevancy of character in criminal cases also.

(Words limit : Maximum 200 Words)

- (b) A witness, of whom nothing whatever is known, is asked at random, whether he is a dacoit. Decide the reasonability of this question in examination of witnesses with the legal provision.

(Words limit : Maximum 100 Words)

- (c) 'A' is tried for the murder of 'B'. The fact that 'A' murdered 'C', that 'B' knew that 'A' had murdered 'C', and that 'B' had tried to extort money from 'A' by threatening to make his knowledge public. Whether this fact may be taken into consideration as relevant by the court ? Support the answer with the case law.

(Words limit : Maximum 100 Words)

9. (अ) आरोप क्या है ? क्या न्यायालय आरोप परिवर्तन कर सकता है ? यदि हाँ, तो कैसे और कब ? यदि आरोप परिवर्तित किया जाता है तब क्या साक्षियों को पुनः बुलाया जाना होता है ? व्याख्या कीजिए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20

- (ब) किन परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है ? समझाइए।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (स) निम्नलिखित के मध्य अन्तर बताइए :

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध

दोषसिद्धि और दोषमुक्ति

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (a) What is the Charge ? Can the court alter a charge ? If so, how and when ? If a charge is altered by the court, whether the witnesses be recalled ? Explain.

(Words limit : Maximum 200 Words)

- (b) Under what circumstances police may arrest any person without warrant ? Elucidate.

(Words limit : Maximum 100 Words)

- (c) Distinguish between the following :

Cognizable and Non-cognizable offences

Conviction and Acquittal

(Words limit : Maximum 100 Words)

10. (अ) विशेषज्ञ कौन है ? अन्य व्यक्ति की राय कब सुसंगत होती हैं ? इस प्रकार के साक्ष्य का पारिक्षिक मूल्य क्या है ? एक विशेषज्ञ साक्षी और एक साधारण साक्षी में क्या अंतर हैं ? व्याख्या कीजिए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 150 शब्द) 15

- (ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में प्रावधान न्याय की हानि से निवारित करते हैं और विधि के प्राधिकार को सुदृढ़ करते हैं । आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 150 शब्द) 15

- (स) परिवाद मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (a) Who is expert ? When are the opinion of third person relevant ? What is probative value of such evidence ? What is difference between an expert and an ordinary witness ? Explain.

(Words limit : Maximum 150 Words)

- (b) The provisions as to offences affecting the administration of justice under Criminal Procedure Code are for preventing the miscarriage of justice and strengthening the Authority of Law. Critically examine.

(Words limit : Maximum 150 Words)

- (c) Describe briefly the procedure to be adopted by a Magistrate in complaint cases.

(Words limit : Maximum 100 Words)

2023

विधि - III (राजस्व एवं दण्डिक) (तृतीय प्रश्न-पत्र)

Law - III (Revenue and Criminal) (Third Paper)

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 200

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 200

नोट : अभ्यर्थी कुल छः (6) प्रश्नों के उत्तर दें, जिनमें खण्ड 'अ' से प्रश्न संख्या 1 तथा अन्य कोई दो प्रश्न तथा खण्ड 'ब' से प्रश्न संख्या 6 तथा अन्य कोई दो प्रश्न हों। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।

Note : Candidates should answer six (6) questions in all, out of which they should answer question No. 1 and any other two questions from section 'A' and question No. 6 and any other two questions from section 'B'. Marks carried by each question are indicated at its end.

खण्ड - अ / Section - A

1. (अ) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत भू-धृतिधारकों के वर्गों को स्पष्ट कीजिए। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर और असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में अन्तर स्पष्ट कीजिए। वह भूमि, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, का उल्लेख कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20
- (ब) निम्नलिखित को विधिक उपबन्ध सहित स्पष्ट कीजिए :
 - (i) असामी की बेदखली की प्रक्रिया
 - (ii) निष्क्रान्त सम्पत्ति (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) कतिपय भूमि आदि का गाँव सभाओं में निहित होने के परिणामों का वर्णन कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) Explain the classes of tenure-holders under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950. Point out difference between Bhumidhar with transferable rights and Bhumidhar with non-transferable rights. State the lands in which Bhumidhari rights shall not accrue. (Word limit: Maximum 200 Words)
- (b) Explain the following with legal provisions :
 - (i) Procedure of ejectment of Asami
 - (ii) Evacuee Property (Word limit : Maximum 100 Words)
- (c) Narrate the consequences of the 'vesting of certain lands etc.' in Gaon Sabhas. (Word limit: Maximum 100 Words)

2. (अ) किन परिस्थितियों में एक भूमिधर द्वारा जोत का अन्तरण विक्रय समझा जाएगा ? विधिक प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (ब) खान अधिकरण के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) जोत की भूमि का उद्योग अथवा निवास के लिए उपयोग सम्बन्धी उपबन्धों को स्पष्ट कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) Under what circumstances transfer of holding by a Bhumidhar shall be deemed to be a sale ? Explain with the help of legal provisions. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (b) Describe the composition and jurisdiction of Mines Tribunal. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (c) Discuss the provisions as to use of holding for industrial or residential purposes. (Word limit: Maximum 100 Words)
3. (अ) 'सीर' भूमि की परिभाषा दीजिए और इसका 'खुदकाशत' भूमि से अन्तर बताइये। 'सीर' भूमि से सम्बन्धित विशेषाधिकारों की व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (ब) सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भू-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत भू-राजस्व मूल्यांकन के क्या सिद्धान्त हैं ? सुसंगत विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) Define 'Sir' land and distinguish it from 'Khudkasht' land. Explain the privileges related to 'Sir' land. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (b) Discuss the procedure for ejection from land of public utility. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (c) What are the principles of assessment of Land Revenue under the U.P. Zamindari and Land Reforms Act, 1950 ? Explain with relevant legal provisions. (Word limit: Maximum 100 Words)
4. (अ) दाखिल-खारिज किसे कहते हैं ? उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (ब) निम्नलिखित अवधारणा की व्याख्या कीजिए :
- (i) गाँव सभा और गाँव पंचायत
- (ii) भूमि प्रबंधन समिति के कृत्य (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) मालगुजारी संग्रहण की प्रक्रिया में व्यतिक्रमी की जोत के विक्रय से सम्बन्धित उपबन्धों की विवेचना कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) What is mutation ? Describe the procedure for mutation on ground of succession. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (b) Explain the following concept :
- (i) Gaon Sabha & Gaon Panchayat
- (ii) Functions of Land Management Committee (Word limit: Maximum 100 Words)
- (c) Discuss the provisions relating to sale of defaulter's holdings as a mode of land revenue collection. (Word limit: Maximum 100 Words)

5. (अ) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत भूमिधर एवं असामी के उत्तराधिकार के उपबन्धों का वर्णन कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 150 शब्द) 15
- (ब) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र की अन्तर्वस्तु का उल्लेख कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 150 शब्द) 15
- (a) Describe the provisions of succession of Asami and Bhumidhar under U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.
(Word limit: Maximum 150 Words)
- (b) Describe the contents of application under Section 79 of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950. (Word limit: Maximum 150 Words)

खण्ड - ब / Section - B

6. (अ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 मात्र साक्ष्य का नियम है और किसी सारवान् अपराध की उत्पत्ति नहीं करती है। उदाहरण सहित समझाइए। सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अन्तर बताइए। (शब्द सीमा: अधिकतम 200 शब्द) 20
- (ब) एक शिशु को 'य' के भोजन में विष डालने के लिए 'क' उकसाता है, और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु उकसाहट के परिणामस्वरूप भूल से 'म' के भोजन में, जो 'य' के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है। 'क' के दायित्व को स्पष्ट कीजिए।
(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) आपराधिक दायित्व के प्रतिरक्षा के रूप में विकृत चित्तता की विवेचना कीजिए। विधिक उन्मत्तता, चिकित्सीय उन्मत्तता से किस प्रकार भिन्न है? निर्णित वादों का सन्दर्भ दीजिए।
(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) Section 34 of Indian Penal Code, 1860 is only a rule of evidence and does not create a substantive offence. Explain with examples. Differentiate between common intention and common object.
(Word limit: Maximum 200 Words)
- (b) 'A' instigate a child to put poison into the food of 'Z', and gives him poison for that purpose. The child in consequence of the instigation, by mistake puts the poison into food of 'Y', which is by the side of that of 'Z'. Discuss the liability of 'A'.
(Word limit: Maximum 100 Words)
- (c) Discuss the unsoundness of mind as a defence to criminal liability. How is legal insanity different from medical insanity? Refer to decided cases.
(Word limit: Maximum 100 Words)
7. (अ) "केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी न हो।" इस सूत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके अपवादों का उल्लेख कीजिए।
(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (ब) 'आवश्यकता' से सम्बन्धित विधि, जो आपराधिक दायित्व से मुक्ति का आधार है, का वर्णन कीजिए।
(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दिये गये दण्ड के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए।
(शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10

- (a) Critically examine the maxim 'Actus non facit reum, nisi mens sit rea' and state its exception. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (b) State the law relating to 'necessity' as a ground of excuse from criminal liability. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (c) Discuss the various modes of punishment provided under Indian Penal Code, 1860. (Word limit: Maximum 100 Words)
8. (अ) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में उपबन्धित प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के प्रावधानों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (ब) "दृश्य-रतिकता" को विधिक उपबन्धों को देते हुए स्पष्ट कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं ? दुष्प्रेरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) Discuss and illustrate the provisions of 'right to private defence' as embodied in the Indian Penal Code, 1860. (Word limit: Maximum 100 Words)
- (b) Giving statutory provisions explain "Voyeurism". (Word limit: Maximum 100 Words)
- (c) What do you understand by abetment ? Describe various modes of abetment. (Word limit: Maximum 100 Words)
9. (अ) 'सदोष परिरोध' के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए और 'सदोष अवरोध' से उसकी विभिन्नता बताइये। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (ब) निम्नलिखित में दिये गये दो अपराधों का अन्तर स्पष्ट कीजिए :
 (i) व्यपहरण एवं अपहरण
 (ii) चोरी एवं लूट
 (iii) बलवा एवं दंगा (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (स) मानहानि के अपराध को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं ? सोदाहरण व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 100 शब्द) 10
- (a) Discuss the essentials of 'wrongful confinement' and distinguish it with 'wrongful restraint.' (Words limit: Maximum 100 Words)
- (b) Distinguish between the two following offences :
 (i) Kidnapping and Abduction
 (ii) Theft and Robbery
 (iii) Rioting and Affray (Word limit: Maximum 100 Words)
- (c) Define the offence of defamation. What are its essentials ? Explain with illustrations. (Word limit: Maximum 100 Words)
10. (अ) आपराधिक मानव-वध से आप क्या समझते हैं ? कब यह हत्या की कोटि में आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता है ? व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 150 शब्द) 15
- (ब) आपराधिक न्यास भंग और आपराधिक दुर्विनियोग में अन्तर स्पष्ट कीजिए। अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। (शब्द सीमा: अधिकतम 150 शब्द) 15
- (a) What do you understand by the culpable homicide ? When it is murder and when it is not murder ? Explain. (Word limit: Maximum 150 Words)
- (b) Point out the difference between 'Criminal breach of trust' and 'Criminal misappropriation'. Support your answer with examples. (Word limit: Maximum 150 Words)